08/12/21 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अभियोजन अधिकारी हाजिर। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/...... दिनांक 08.12.2021 से अनुसंधान पत्रावली प्रेषित की गई है जो कि पत्रावली के हम किता है। रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली के हम किता रहें। प्रकरण में प्रार्थी आकाश जैसवार पिता मन्नू जैसवार निवासी वार्ड नम्बर 14, 47 विनोबागंज नीमच (मध्य प्रदेश) की और से पुलिस थाना निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 396/2021 दिनांक 08.08.2021 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 7, 8, 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात विनियमन) नियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या

(तारा चन्द मीणा)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2021/12/31 12:12

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख [illegible] जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	MP 44 GA 1266 को प्रार्थी वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, कोतवाली, निम्बाहेडा से कमेन्ट्स मय केस डायरी के प्राप्त किए गए। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/...... दिनांक 08.12.2021 से पत्र पृष्ठांकन कर निवेदन किया कि वाहन की आवश्यकता नहीं है, अनुसंधान हो गया है। न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र पृष्ठांकित होकर शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा से प्राप्त अनुसंधान पत्रावली का गहनता से परिशीलन/अवलोकन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा अवगत कराया गया है कि वाहन की आवश्यकता नहीं है, अनुसंधान हो गया है, चूंकि वाहन बोलरो पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या MP 44 GA 1266 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अतः आठ लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पुलिस थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा से प्राप्त केस डायरी लौटाई जावें। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। (तारा चन्द मीणा) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ 08 DEC 2021	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2021/12/31 12:11